

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) -- जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 13/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

गीघाराम पुत्र तेजाराम जाति रैगर नि० ग्राम डयोडी तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार।

—अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 24.6.25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा हाल किशनगढ रेनवाल ने एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम काल्या, पटवार हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 66/10 रकबा 2.5290 हैक्टेयर किस्म बाराणी 4 गीघाराम पुत्र तेजाराम जाति रैगर हिस्सा सम्पूर्ण नि० ग्राम डयोडी तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार गीघाराम पुत्र तेजाराम जाति रैगर का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई कब्जा काशत नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना की है। अतः आवंटन नियमों की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। तामील रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी ग्राम डयोडी में नहीं रहा बताया गया है। रजि० नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी का पता पर निवास नहीं करने का अंकन करते हुये नोटिस अदम तामील प्राप्त हुये। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। किन्तु प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा रिकार्ड तथा अप्रार्थी के सही पतों की सूचना नहीं भिजवाई गई तथा आप द्वारा आवंटन रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा हाल किशनगढ रेनवाल का रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जाँच कर आवंटियों के पूर्ण पते व वांछित आवंटन रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24.6.25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दपतर हो।



(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर